न्यायालय जिला कलेक्टर एंव प्रथम अपील अधिकारी ,टोंक

प्रकरण संख्या 35 /2019

रामलाल पुत्र स्व. सुवा गुर्जर निवासी सी–216, आशियाना ग्रीन वुड खो नागौरियान रोड, जगतपुरा, जयपुर–302017

––अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी देवली, जिला टोक

––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 11–12–2019**

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी देवली को दिनांक 31–07–2019 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही गई थी।

रामलाल पुत्र स्व. सुवा गुर्जर निवासी बालागढ़ ने भूमि खसरा नं. 497/1418 के कम में उपखण्ड अधिकारी नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.7.2009 की प्रति तहसीलदार देवली को एक प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर दिनांक 17.7.2013 को प्रस्तुत किया गया था। प्रार्थी ने निवेदन किया था कि उपरोक्त भूमि का नामांतरण प्रार्थी के नाम इन्द्राज करने का कष्ट करें। उपरोक्त के कम में निम्न सुचनाऐं उपलब्ध कराने का कष्ट करे–

1. रामलाल द्वारा दिनांक 17.7.2013 को तहसीलदार, देवली को प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र।
2. उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार देवली की टिप्पणी दिनांक 17.7.2013
3. उपरोक्त प्रकरण में पटवारी रिपोर्ट दिनांक 28.8.2013।
4. उपरोक्त प्रकरण में टीआरए रिपोर्ट।
5. उपरोक्त प्रकरण में तहसीलदार देवली द्वारा की गई टिप्पणी दिनांक 11.12.2013।
6. तहसीलदार दूनी द्वारा उपखण्ड अधिकारी देवली को प्रेषित पत्र दिनांक 13.1.2014।
7. उपखण्ड अधिकारी देवली की टिप्पणी दिनांक 23.5.2014।
8. उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर अब तक की गई सम्पूर्ण कार्यवाही से संबंधित दस्तावेज।
9. उक्त भूमि का आवंटन श्री सुवा पुत्र कल्याण गुर्जर निवासी बालागढ़ को किये जाने के कम में जारी किया गया आवंटन आदेश कमांक एसीएम/आवंटन/407 दिनांक 27.1.1983।

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

10. इस भूमि का आवंटन श्री सुवा पुत्र कल्याण गुर्जर के नाम जारी किये जाने के बाद उपखंण्ड अधिकारी टोंक द्वारा जारी किया गया कार्यालय आदेश कमांक 1748/आवंटन/86 दिनांक 2.6.1986।
11. उपखण्ड अधिकारी नैनवा द्वारा जारी आदेश कमांक 1878/राजस्व/2009/ दिनांक 29.7.2009।
12. तहसीलदार देवली द्वारा दिनांक 29.7.2009 को जारी किया गया कार्यालय आदेश कमांक 4579 दिनांक 7.9.2009।
13. उप तहसीलदार नगर फोर्ट द्वारा जारी किया गया आदेश कमांक 547/भू.अ./ 2009।

अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपरिथत नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी देवली से अपीलार्थी को सूचना नहीं देने के संबंध मे जवाब तलब किया गया। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी देवली ने उनके पत्र कमांक 1056 दिनांक 26–11–2019 से अवगत करवाया है कि आवेदक द्वारा चाही जा रही सूचना तहसीलदार देवली से सम्बन्धित होने से धारा 6(3) के तहत प्रार्थना पत्र अन्तरित कर दिया गया था जिस पर तहसीलदार देवली द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में तहसील दूनी नवसृजित तहसील होने के कारण प्रकरण/सूचना तहसीलदार दूनी से सम्बन्धित है जिस पर कार्यालय पत्र कमांक 803 दिनांक 29–8–19 से तहसीलदार दूनी को आवेदक को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु मूल पोस्टल आर्डर व आवेदन पत्र अन्तरित कर दिया था। चूँकि आवेदक द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार देवली/दूनी से सम्बन्धित है। आवेदक को सूचना निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नहीं करवाई गई है। जबकि लोक सूचना अधिकारी का दायित्व था कि वांछित सूचना प्रार्थी को उपलब्ध करवाते।

फलतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी देवली/तहसीलदार देवली/दूनी को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित तथा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें।अपीलार्थी व लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी देवली/तहसीलदार देवली/दूनी को निर्णय की प्रति प्रेषित कि जावे।

(के0के0शर्मा)
जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kishore Kumar Sharma
Date: 2019.12.31 11:24:35 IST
Reason: SelfAttested
Location: